क्रमांकः सामान्य/2022/3503 15 दिसम्बर, 2022

—: आदेश :—

देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन के लिए कोटा शहर के कोचिंग संस्थानों में आते है। विद्यार्थी कोटा में आने के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के हॉस्टल्स/पी0जी0 में निवास करते हैं। कोटा शहर में वर्तमान में करीब 1500 से अधिक हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालित है। अपने परिवार से दूर रह कर अध्ययन कर रहे इन विद्यार्थियों के हितों एवं आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रख कर जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन कर शहर के विभिन्न भागों में स्थित कुछ हॉस्टलों/पी0जी0 का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन एवं अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हॉस्टलस/पी0जी0 के व्यवस्थित संचालन एवं किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए सभी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालाको को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक सामान्य/2016/512 दिनांक 25.05.2016 से निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा—निर्देशो की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.11.2022 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों को समावित कर निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते है, जिनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें :—

1. सर्वप्रथम हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक यह सुनिश्चित् करें कि वे अपने हॉस्टल्स/पी0जी0 को शुरू करते समय नियमानुसार विभागीय एन0ओ0सी0 आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही अपना संचालक शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। हॉस्टल्स/पी0जी0 में अग्नि दुर्घटना से संबंधित अग्निशमन उपकरण निश्चित् तौर पर लगायेगे। इन उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों का होना आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों में पोर्टेबल फायर एसटींग्यूशर (Fire extinguisher) जिनका नियमित रूप से नवीनीकरण करवाया गया हो, उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त Sand-bucket (सेण्ड बकेट), (Hose Reel) हॉजरील एवं फायर अलार्म सिस्टम किसी भी आगजनी अथवा आपदा निपटने के लिए रखना अनिवार्य होगा।
2. अग्नि दुर्घटना के मध्यनजर फायर एग्जिट प्लान भी निश्चित् तौर पर उपलब्ध होना चाहिए। हॉस्टल/पी0जी0 संचालक यह भी सुनिश्चित करे कि भवन का विन्यास इस प्रकार से हो कि अग्नि दुर्घटना अथवा आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन हेतु फायरबिग्रेड वाहन की पहुंच सभी जगह पर सुगमता पूर्वक हो सकें।
3. आगजनी प्रबंधन हेतु किये जाने वाले उपरोक्त उपायों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम कोटा को निरीक्षण करवाकर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण—पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि हॉस्टल में लिफ्ट का संचालन किया जा रहा है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकृत अधिकारी का लाइसेंस लिया जाना आवश्यक होगा एवं लिफ्ट संचालन हेतु प्रशिक्षित ऑपरेटर भी कार्यरत हो। इसके अतिरिक्त हॉस्टल की इलेक्ट्रीकल लाईन एवं इलेक्ट्रीकल पेनल इत्यादि की नियमित रूप से चेंकिंग करवाया जाना सुनिश्चित करेगें तथा इस हेतु सुरक्षा ऑडिटिंग करवाई जा कर उसका पृथक से रिकॉर्ड भी संधारित करेगें।

☎0744-2451200(O)2451100(R)0744-2323883(Fax) E-mail : dm-kot-rj@nic.in, rajkot@nic.in

5. हॉस्टल्स/पी0जी0 में मैस का संचालन होने की दशा में होस्टल्स के किसी भी भाग का किचन के रूप में इस्तेमाल करने कि स्थिति में किचन एरिया ऊपर जाने वाली सीढ़ियो, बेसमेन्ट अथवा हॉस्टल के आगे के हिस्से में संचालित न हो अर्थात हॉस्टल्स/पी0जी0 में आने–जाने के रास्ते में मैस से संबंधित गतिविधि संचालित न हो यथा संभव किचन का संचालन हॉस्टल के पीछे के हिस्से में अथवा सबसे ऊपरी भाग पर हो।
6. खाना पकाने की संपूर्ण जगह पूर्ण रूप से साफ–सुथरे हो, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल किया जावें। खाने के सामग्री बंद डिब्बे में तथा फल एवं सब्जी ढक कर साफ–सूथरे स्थान पर रखना सुनिश्चित करेगें, रसोईघर से निकलने वाला पानी अपशिष्ट एवं कचरे का समुचित निकास एवं निस्तारण करेगें। कचरा आस–पास खुले स्थान में नहीं फेंकेगें। खाना खाने का स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ–सुथरा होना आवश्यक है। खाना पकाने वाले व्यक्तियों को साफ–सफाई से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाना सुनिश्चित करेगें।
7. हॉस्टल्स/पी0जी0 के संबंध में बाथरूम में नियमित रूप से साफ–सफाई सुनिश्चित् करें एवं इन टायलेट्स से निकलने वाले अपशिष्ट को समीप के नाले में प्रविष्ट नहीं करायें। अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हॉस्टल्स/पी0जी0 परिसर में सैफ्टिक टैंक इत्यादि का प्रबंध अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें। हॉस्टल्स/पी0जी0 के ऑवरहैड टैंक की सफाई नियमित रूप से (तिमाही) सुनिश्चित करेगें एवं सफाई दिनांक का ऑवरहैड टैंक पर अंकन भी करेगें।
8. गत दिनों कोचिंग विद्यार्थियों के बीच में आपसी तनाव के कारण घटना घटित हुई एवं कुछ विद्यार्थियों द्वारा वर्जित वस्तु जिसमें मुख्यतः चाकू, ब्लेड्स या ऐसे धारदार हथियार अपने पास रखकर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के तथ्य भी प्रकट हुए है। हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक यह सुनिश्चित् करें कि उनके परिसर में ऐसे असामाजिक प्रकृति के विद्यार्थी के निवास की जानकारी होने पर इसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित पुलिस थाने में दे। यदि निरीक्षण/चैकिंग के दौरान किसी विद्यार्थी के पास ऐसे हथियार उपलब्ध होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक की भी होगी। अतः वह ऐसी गतिविधियॉ होने से पूर्व ही इसकी जानकारी संबंधित थानों को देना सुनिश्चित करें।
9. हॉस्टल्स/पी0जी0 विद्यार्थियों द्वारा शराब, मादक नशीले पदार्थ आदि के सेवन करने की जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक ऐसे विद्यार्थियों को अपने हॉस्टल्स से निष्कासित करें एवं ऐसी गतिविधियों की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित पुलिस थाने को दें ताकि ऐसी गतिविधियों से अन्य विद्यार्थी भी गलत दिशा में न जाये।
10. हॉस्टल्स/पी0जी0 में विद्यार्थियों के आने–जाने का समय निश्चित् तौर पर दैनिक डायरी में अंकित करें विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक अटेण्डेन्स ले एवं उनकी उपस्थिति का एक माह का डिजिटल रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी सूचना के तीन दिवस तक हॉस्टल्स/पी0जी0 में रहवास न करें तो हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक विद्यार्थी के अभिभावक को तुरंत इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेगें।
11. हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक विद्यार्थियों से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी जो हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक के पास उपलब्ध हो एवं असामान्य हो तो इसकी सूचना उनके अभिभावक को करें एवं इसका उल्लेख भी अपनी दैनिक डायरी में अंकित करना सुनिश्चित करें।

12. सभी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालको को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मियों को तैनात करे जो यूनिफोर्म में हो। गर्ल्स हॉस्टल्स/पी0जी0 के संचालक यथा संभव महिला सुरक्षाकर्मियों को तैनात करें और यदि पुरूष सुरक्षाकर्मियों को किसी कारण से तैनात करे तो हॉस्टल्स/पी0जी0 में राउड द क्लॉक अथवा 24 घण्टें महिला वार्डन का होना अनिवार्य होगा। ऐसे वॉर्डन हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालन की समस्त गतिविधियों से परिचित होने चाहिए एवं विद्यार्थियों से संवाद करने में सक्षम होने चाहिए।
13. प्रायः यह देखा गया है कि हॉस्टल्स/पी0जी0 मालिक संचालन का कार्य कुछ व्यक्तियों के हाथों में देकर स्वयं इससे परे रहकर मात्र केवल हॉस्टल्स की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं जो कि उचित नहीं है। साथ ही यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रायः हॉस्टल्स/पी0जी0 मालिक जिन व्यक्तियों को हॉस्टल संचालन की जिम्मेदारी देते है, वे विद्यार्थियों के हॉस्टल्स/पी0जी0 छोड़ने के समय उनकी फीस इत्यादि के रिफण्ड में काफी कठिनाई पैदा करते है तथा कुछ संचालक बीच में ही संचालन का कार्य बंद भी कर देते है। फलतः विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में सभी हॉस्टल्स/पी0जी0 मालिक/संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि हॉस्टल्स/पी0जी0 में संचालित समस्त गतिविधियों के लिए दोनो ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें एवं हॉस्टल्स/पी0जी0 में देय सुविधाओं में कमी तथा उपरोक्त निर्देशों की पालना न करने पर उनका उत्तरदायित्व समानरूप से निर्धारित किया जावेगा।
14. विद्यार्थी स्वयं के स्तर पर अन्य हॉस्टल में प्रवेश करना चाहे अथवा निवासरत हॉस्टल्स/पी0जी0 को छोडने के इच्छुक हो तो उनसे प्राप्त प्रतिभूति राशि एवं एडवांस राशि का भुगतान उनके परिजनों से संपर्क कर एवं उनकी सहमति के आधार पर तीन दिवस में करना सुनिश्चित करेगें।
15. छात्राओं के हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक यह सुनिश्चित् करें कि छात्राओं की गरिमा एवं उनकी प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों से ठेस न पहुंचे एवं छेडखानी अथवा अन्य कोई भी ऐसी घटना घटित होने पर अथवा जानकारी में आने पर तुरंत संबंधित पुलिस थाने/जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोटा में सूचित करना सुनिश्चित करेगे।
16. छात्राओं के हॉस्टल्स/पी0जी0 में यह भी सुनिश्चित करे कि छात्राओं के कमरों में मात्र महिला सुरक्षाकर्मी या महिलाकर्मी ही प्रवेश करें एवं कोई भी अवांछित व्यक्ति हॉस्टल्स/पी0जी0 परिसर में प्रवेश ना करें। प्रवेश करने वाले व्यक्ति सिर्फ विद्यार्थी के अभिभावक, रिश्तेदार अथवा छात्राओं द्वारा अनुमत अन्य छात्रा हो सकते हैं।
17. सभी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालको को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहां पर एक सूचना पट्ट लगाया जाना सुनिश्चित करेगें जिसमें पुलिस हेल्पलाईन नम्बर (9649494989 SMS प्रेषित करें), ई–मेल आई डी– policehelplinekota@gmail.com पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर (100/0744–2350777, 2350778) छात्राओं से छेडखानी के संबंध में पुलिस द्वारा संचालित पुकार हैल्पलाईन के नम्बर (94688–00005), संबंधित थाने का नम्बर, होप हैल्पलाईन नम्बर–(0744–233666), मेडिकल डॉक्टर का नम्बर, सहजदृश्य स्थानों पर डिस्प्ले करना सुनिश्चित करेगें। जिस भी मेडिकल डॉक्टर का नम्बर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें, प्रयास करें कि वह उस हॉस्टल्स/पी0जी0 से निकटतम परिसर में रहे ताकि इमरजेंसी

में भी उपचार उपलब्ध कराया जा सकें, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यार्थी स्वैच्छा से किसी भी अन्य मेडिकल डॉक्टर से उपचार कराने हेतु स्वतंत्र होगा। होप हेल्पलाईन का संचालन प्राथमिकता से तनावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। अतः इसका उल्लेख भी सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से करें।

18. सभी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक ऑन कॉल (On-Call) डॉक्टर की व्यवस्था एवं First aid Box की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेगें।
19. हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक रहवास स्थान साफ–सुथरा और स्वच्छ रखें एवं वहॉ पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित् करें जिससे विद्यार्थियों को एक स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण मिले। छोटे–छोटे कमरों में ज्यादा विद्यार्थियों को न रखें जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े।
20. विद्यार्थियों के कमरों में प्रकाश, हवा इत्यादि की उचित व्यवस्था रहें ताकि विद्यार्थियों को ऐसे कमरों में लम्बे समय तक रहने की वजह से किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक नुकसान न हो।

कोचिंग संस्थानो द्वारा प्रवेशित तथा छात्रावास/PGs में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

- पी0जी0 व छात्रावासों में निवास के लिए एक यूनिफार्म फोरमेट लागू किया जावें। जिसमें विद्यार्थियों का विवरण, अभिभावकों के सम्पर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफण्ड की नीति/व्यवस्था, प्रक्रिया दी जाने वाली सुविधाऐं तथा उनके नियमों का अंकन हो। यह विवरण पी0जी0/छात्रावास मालिक/संचालक व विद्यार्थियों के पास रहें ।
- कोचिंग संस्थानों/छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाया जावें।
- विद्यार्थियों के कोचिंग संस्थानो तथा छात्रावासों मे आने–जाने के समय की कारण सहित प्रविष्टि रजिस्टर में करवाई जावे। छात्रावासों एवं कोचिंग संस्थानों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पूरा रिकार्ड यथा व्यक्तिगत पहचान पत्र, मोबाईल नंबर व आगमन का उद्देश्य इत्यादि का विवरण आवश्यक रूप से आवक–जावक रजिस्टर में संधारित रखा जावें।
- सांयकालीन Coaching Classes से आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए छात्रावास/पी0जी0 के आसपास समुचित रोशनी रखी जावें, अंधेरा नही हो।
- कोचिंग संस्थानों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड एवं पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- शिकायत प्राप्त होने पर छात्रावासों, मैस व टिफिन सेवा प्रदाताओं द्वारा दिये जा रहे भोजन की जांच चिकित्सा एवं रसद विभाग के संयुक्त दल से करवाई जावें।
- स्वच्छ पेयजल व साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

उपरोक्त निर्देश विद्यार्थियों के हित एवं जनहित में दिये जाते हैं एवं इनकी पालना सुनिश्चित् करना नितान्त आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियों के हितो के

मद्देनजर इन निर्देशों की पालना हेतु सघन निरीक्षण, शिकायत के आधार पर जॉच एवं समीक्षात्मक बैठक सुनिश्चित की जावेंगी। अतः किसी भी हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में हॉस्टल्स/पी0जी0 का संचालन रोका जायेगा एवं हॉस्टल्स/पी0जी0 को सीज किया जा कर समस्त गतिविधियों को बंद किया जावेगा एवं दुर्घटना होने की दशा में हॉस्टल्स संचालक की जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगीं।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांकः सामान्य/2022/3504 दिनांकः-15/12/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
2. श्रीमान महानिरीक्षक, पुलिस आरक्षी, कोटा रेंज, कोटा
3. जिला पुलिस अधीक्षक, शहर/ग्रामीण, कोटा
4. कोचिंग संस्थान नोडल अधिकारी श्री .....
5. सदस्यगण जिला स्तरीय कोचिंग समिति ..... जिला कोटा
6. उप-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कोटा
7. समस्त कोचिंग संस्थान/हॉस्टल्स/पी0जी0 संचालक, कोटा
8. निजी सहायक, जिला कलक्टर कोटा

15/12/22

अति0 जिला कलक्टर,
कोटा